न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अन्तर्गत धारा 251–ए आर.टी.ए.

भीमसैन बनाम रज्जो देवी

!! संशोधित आदेश !!

दिनांक :–13.11.2024

प्रार्थी लाल चन्द द्वारा जरिए अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किए गये कि प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा था कि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 7 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5 में उत्तर पूर्वी कोना पर 16–1/2 इन्टू 16–1/2 फीट चौड़ा रास्ता एल रूप में स्वीकृत किया जावे एवं इस रास्ता की भूमि की ऐवज में मुआवजा स्वरूप प्रार्थीगण अपनी मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 21 ता 25 में स्वीकृत किये जाने वाले 1–1 बिस्वा रास्ता की भूमि को मुआवजा स्वरूप देने को तैयार है जिस हेतू पृथक से आवेदन पत्र लालचन्द बनाम रकार विचाराधीन है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनो आवेदन पत्रों को समेकित करते हुए अपने आदेश दिनांक 08.11.2024 से दोनो आवेदन पत्र स्वीकार कर मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 21 ता 25 में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया एवं मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5 में चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया एवं अपने निर्णय के ऑपरेटिव पॉर्ट में उत्तर पूर्वी कोना पर मंगवाये गये नक्शा अनुसार रास्ता स्वीकृत किया गया जो कि 16–1/2 फीट इन्टू 16 –1/2 फीट अर्थात **4 बिस्वांसी भूमि है लेकिन टंकण की त्रुटि से निर्णय के प्रभावी भाग में 4 बिस्वांसी के स्थान पर 4 बिस्वा टंकित हो गया है जो कि टंकण की त्रुटि होने के कारण दुरूस्त किये जाने योग्य है।** निर्णय के प्रभावी भाग में माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार के द्वारा मुआवजा देय ना होना स्पष्ट रूप से अंकित किया लेकिन उससे आगे टंकण की त्रुटि से यह अंकित हो गया कि जमाशुदा राशि का तहसीलदार अपने स्तर से वितरण करे, जबकि प्रकरण की परिस्थितियों के अनुरूप न तो कोई मुआवजा राशि देय थी एव ना हीं कोई मुआवजा राशि जमा होनी है जिसका वितरण होगा। उक्त पंक्ति भी टंकण की त्रुटि से निर्णय के प्रभावी भाग में अंकित हो गयी है जिसको हटाया जाना आवश्यक हो गया है । निर्णय में उक्त त्रुटि टंकण की है जिसे निर्णय के अनुरूप दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र निर्णित करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अनवान की रास्ता पत्रावलियों को आज ही पेशी में लिया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 08.11.2024 के प्रभावी भाग में मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5 में 4 बिस्वा के स्थान पर 4 बिस्वांसी दुरूस्त किया जावे एवं जमा राशि तहसीलदार, जिसकी भमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपने स्तर से वितरित करेगा, लाईन को डिलीट किया जावे क्योंकि प्रकरण में कोई मुआवजा राशि देय नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि हैं, जिसे धारा 151–152 सीपीसी के प्रावधानों के अर्न्तगत संशोधित किया जा सकता है।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 152 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 98/2020 शीर्षक भीमसैन बनाम रज्जोदेवी में पारित निर्णय दिनांक 06.11.2024 के आदेश में संशोधन करते हुए मुरबा नम्बर 46 के किला नम्बर 5 में 4 बिस्वा के स्थान पर मुरबा नम्बर 46 के किला नम्बर 5 में 4 बिस्वांसी किया जाता है। चूंकि एक पक्ष द्वारा 4 बिस्वा के स्थान पर 4 बिस्वांसी भूमि ही रास्ता के लिए दी जा रही है इसलिए अन्तर वाली भूमि 4 बिस्वा भूमि में से 4 बिस्वांसी भूमि को कम करते हुए शेष अन्तर वाली भूमि का डी.एल.सी. की दुगनी राशि जिस पक्षकार की भूमि में से 4 बिस्वांसी रास्ता स्वीकृत किया गया है उससे जमा करवाई जाने के पश्चात् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार उक्त जमा राशि को दूसरे पक्ष को अपने स्तर पर वितरित करेगा।

इसी आदेश में टंकित– "प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को समान रूप से रास्ता स्वीकृत किया गया है जिससे दोनों पक्षों को स्वीकृत रास्ते के बदले मुआवजा देय नहीं है। तहसीलदार श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुर अमल दरामद किया जावे। जमा राशि तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपने स्तर से वितरित करेगा" को आदेश से कलमजन (Delete) किया जाता है। यह संशोधन निर्णय दिनांक 06.11.2024 का भाग पढ़ा जावे।

संशोधित आदेश आज दिनांक 13.11.2024 को लिखवाया जाकर उभयपक्ष को सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

18.11.24

पुनश्च: प्रस्तुत प्रकरण में आदेश दिनांक 13.11.24 के पृष्ठ संख्या 02 के पैरा नंबर 03 की पंक्ति संख्या जो इन्वर्टेड कौमा में है, में आंशिक संशोधन किया जाता है। उक्त पंक्ति में 4 बिस्वा की जगह 5 बिस्वा पढा जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर